संख्या-4/2025/1003/44-1-2025

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त सार्वजनिक उपक्रम/निगम के
प्रशासनिक विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांकः 29 सितम्बर, 2025**

विषयः- दिनांक 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले उ0प्र0 राज्य सरकार के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की तिथि (30 जून/31 दिसम्बर) के ठीक अगले दिन अर्थात् 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि नियत होने पर ऐसे कार्मिकों की पेंशन की गणना हेतु एक नोशनल वेतनवृद्धि जोड़ा जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-11/2024/सा-3-227/10-19099/4/2024, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले राज्य सरकार के कार्मिकों, जिन्हें यथास्थिति 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि दिया जाना नियत है, द्वारा आहरित अंतिम वेतन में एक नोशनल वेतनवृद्धि जोड़ते हुए पेंशन एवं ग्रेच्युटी का आगणन किया जाय।

दिनांक 01 जुलाई को वेतनवृद्धि प्रदान किये जाने सम्बन्धी व्यवस्था दिनांक-01.01.2006 में प्रभावी वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (2008) की संस्तुतियों के क्रम में लागू की गयी है। अतः इन आदेशों से वे कार्मिक भी आच्छादित होंगे जो दिनांक 01.01.2006 के उपरान्त परन्तु शासनादेश निर्गत होने के पूर्व सम्बंधित वर्ष की 30 जून को सेवानिवृत्त हो चुके थे परन्तु उन्हें यह लाभ तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य होगा तथा उन्हे एरियर का भुगतान अनुमन्य नहीं होगा। यही व्यवस्था दिनांक 01.01.2016 के उपरान्त परन्तु शासनादेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व सेवानिवृत्त उन कार्मिको पर भी लागू होगी जो सम्बंधित वर्ष की 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त हुए तथा जिन्हें यथास्थिति 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि देय थी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 12 जून 2024 निर्गत होने की तिथि से राज्य सरकार के कार्मिकों की भाँति राज्याधीन सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्मिकों पर भी लागू किये जाने के सम्बन्ध में सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों की वित्तीय स्थिति/क्षमता के आलोक में परीक्षण करते हुए सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त वित्त विभाग की सहमति से कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनिल कुमार सागर
प्रमुख सचिव।

संख्या-4/2025/1003(1)/44-1-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
(2) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वितीय उ0प्र0 लखनऊ।
(4) सार्वजनिक उद्यम विभाग, आडिट प्रकोष्ठ (वाणिज्यिक) जवाहर भवन, लखनऊ
(5) गार्डफाइल।

आज्ञा से,
अभिषेक सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।